

राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या - 1673/2011/जोधपुर

सहायक आयुक्त, वृत्त-ई, जोधपुर।

.....अपीलार्थी.

बनाम्

मैसर्स आर.के.इण्डस्टीज़, जोधपुर।

.....प्रत्यर्थी.

एकलपीठ

श्री मदन लाल, सदस्य

उपस्थित : :

श्री एन.एस.राठौड़,
उप-राजकीय अभिभाषक।

.....राजस्व की ओर से.

श्री टी.एल.जैन,
अभिभाषक।

.....व्यवहारी की ओर से.

निर्णय दिनांक : 10.03.2014

निर्णय

1. अपीलार्थी सहायक आयुक्त, वृत्त-ई, जोधपुर (जिसे आगे "निर्धारण अधिकारी" कहा जायेगा) द्वारा उक्त अपील उपायुक्त (अपील्स), बीकानेर (जिसे आगे "अपीलीय अधिकारी" कहा जायेगा) के द्वारा पारित आदेश दिनांक 13.01.2011 के विरुद्ध पेश की गयी है, जो अपील संख्या 40/आर.वैट/जेयूए/2009-10 के संबंध में है तथा जिसमें अपीलार्थी निर्धारण अधिकारी ने राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे "अधिनियम" कहा जायेगा) की धारा 23 के तहत निर्धारण वर्ष 2006-07 के लिये पारित निर्धारण आदेश दिनांक 30.03.2009 में अस्वीकार किये गये आगत कर का मुजरा अस्वीकार कर, कायम की गयी रिवर्स कर की मांग राशि 1,60,429/- को अपीलीय अधिकारी द्वारा अपास्त किये जाने को विवादित किया गया है।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि निर्धारण अधिकारी ने वक्त कर निर्धारण जांच कर यह पाया कि आलोच्य अवधि में प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा मैसर्स पंकज ट्रेडर्स, फलौदी (टिन-08902600676) का पंजीयन प्रमाण पत्र निरस्त कर दिया गया है। अतः व्यवहारी द्वारा आलोच्य अवधि में उक्त व्यवहारी से किये गये माल पर चुकाये गये कर के एवजू में चाहे गये आगत कर के मुजरे को अस्वीकार कर, 4 प्रतिशत की दर से रिवर्स कर, कुल ₹1,60,429,- आरोपित कर, आदेश पारित किया गया। उक्त पारित आदेश के विरुद्ध व्यवहारी द्वारा अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत करने पर अपीलीय अधिकारी द्वारा प्रस्तुत अपील को स्वीकार किया गया। जिससे

लगातार.....2




व्यथित होकर अपीलार्थी निर्धारण अधिकारी द्वारा यह अपील प्रस्तुत की गयी है।

3. उभयपक्षीय बहस सुनी गयी।

4. अपीलार्थी निर्धारण अधिकारी की ओर से विद्वान उप-राजकीय अभिभाषक ने उपस्थित होकर पारित अपीलीय आदेश को अधिनियम के प्रावधानानुसार अविधिक होने का कथन किया गया। अग्रिम अभिवाक् किया कि अधिनियम की धारा 18(2) के प्रावधानों के प्रकाश में, वैट कर जमा कराये जाने का सत्यापन होने की दशा में ही, आगत कर का मुजरा प्रदान किये जाने योग्य है अन्यथा आगत कर के मुजरा प्रदान नहीं किया जा सकता। अग्रिम कथन किया कि वैट व्यवस्था में विक्रेता व्यवहारी द्वारा कर जमा नहीं कराने की दशा में, आगत कर के मुजरे का दावा कैसे स्वीकार किया जा सकता है? तर्क दिया कि अपीलार्थी व्यवहारी को मौका दिया गया था कि वह इस संबंध में खरीद के संबंध में कर जमा कराने के सबूत के भार निर्वहन करे परन्तु अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा कर जमा कराने का कोई सबूत के भार का निर्वहन नहीं किया गया है जो अधिनियम की धारा 10 के विशिष्ट प्रावधानों के प्रकाश में, बाध्यकारी है। इसी प्रकार, अधिनियम की धारा 18(3)(अ) के प्रावधानों के प्रकाश में भी आगत कर का मुजरे का दावा अस्वीकार करने को विधिसम्मत होने का कथन किया गया। अग्रिम अभिवाक् किया कि अधिनियम की धारा 18(2) के आलोक में, विद्वान निर्धारण अधिकारी द्वारा पारित आदेश विधिसम्मत होना प्रकट कर, उक्त तर्कों के आधार पर प्रस्तुत अपील को अस्वीकार करने की प्रार्थना की गयी।

5. प्रत्यर्थी व्यवहारी की ओर से विद्वान अधिकृत प्रतिनिधि ने उपस्थित होकर अभिवाक् किया कि व्यवहारी द्वारा जब विक्रेता व्यवहारी से माल कय किया गया था, राज्य के पंजीकृत व्यवहारी था, विक्रेता व्यवहारी के विभाग द्वारा जारी पंजीयन प्रमाण पत्र पश्चात्पूर्ति निरस्त कर दिया हैं, इस संबंध में किसी भी क्रेता व्यवहारी को किस प्रकार ज्ञात हो सकता है? क्रेता व्यवहारी द्वारा समस्त संव्यवहार सद्भावनापूर्ण किया गया था। कथन किया कि समस्त लेन देन बहियात में दर्ज है। वैट इनवॉयस सही जारी किये गये हैं तथा निर्धारण अधिकारी को नियमित रिटर्न पेश किये गये हैं तथा रिटर्न के अनुसार बनने वाला कर भी जमा करवाया गया है। रिटर्न के अनुसार कोई कर बकाया नहीं है। निर्धारण अधिकारी द्वारा यह नहीं बताया गया है कि विक्रेता व्यवसायी



की किस धारा के अन्तर्गत आई टी सी जमा कराने की जिम्मेदारी है। कथन किया प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा कय की गयी खरीद पूर्णतः सही है। प्रत्यर्थी व्यवहारी के विद्वान अधिकृत प्रतिनिधि का तर्क है कि सद्भाविक रूप से कय किये गये संव्यवहार पर आई टी सी नहीं दिया जाना अनुचित है। उसके द्वारा माल जिस विक्रेता से कय किया गया है वह विभाग में तत्समय पंजीकृत था। नियमित रूप से रिटर्न फाइल किये गये हैं। विक्रेता के विक्रेता अथवा उससे भी और आगे किसी व्यवसायी ने कर जमा करवाया अथवा नहीं, यह मालूम करना प्रत्यर्थी व्यवसायी के लिए सम्भव नहीं था।

प्रत्यर्थी व्यवहारी के विद्वान अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा अग्रिम अभिवाक् किया गया कि प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा सद्भावित रूप से माल खरीदा गया था, प्रमाणित वैट इनवाइस से माल कय किया गया था तथा सद्विश्वास से आई. टी. सी. का क्लेम किया गया था।

6. अग्रिम अभिवाक् किया कि किसी पत्र के आधार पर आरोपित कर के दायित्व की जिम्मेदारी नहीं बनती एवम् व्यवहारी द्वारा अधिनियम की धारा 10 के भार को प्रमाणित किया गया है तथा अधिनियम की धारा 16(6) के प्रावधानानुसार किसी व्यवहारी के पंजीकरण प्रमाण पत्र के निरस्त होने की दशा में भी, उस पर कर का दायित्व बना रहता है एवम् व्यवहारी के प्रमाण पत्र निरस्त होने की स्थिति में भी, क्रेता व्यवहारी पर कर का कोई दायित्व नहीं बनता है। व्यवहारी द्वारा सद्भाविक रूप से सही दस्तावेज प्रस्तुत किये गये हैं अतः ऐसी स्थिति में, निर्धारण अधिकारी द्वारा पारित आदेश विधिक सिद्धान्तों के विपरीत है जिसे अपीलीय अधिकारी द्वारा अपास्त करने में कोई विधिक त्रुटि नहीं की गयी है। अपने उक्त तर्क के समर्थन में माननीय कर बोर्ड की समन्वय पीठ (एकलपीठ) द्वारा समान बिन्दुओं पर पारित निर्णय दिनांक 19.05.2010 वाणिज्यिक कर अधिकारी, वृत्त-ए, श्रीगंगानगर बनाम् मैसर्स विजय ट्रेडर्स, श्रीगंगानगर अपील संख्या 1824 व 1825/2008/श्रीगंगानगर, 27 टैक्स अपडेट 109 का हवाला देते हुये, पारित अपीलीय आदेश की पुष्टि कर, अपीलार्थी निर्धारण अधिकारी द्वारा प्रस्तुत अपील अस्वीकार करने की प्रार्थना की गयी।


7. उभयपक्षीय बहस का मनन किया गया। रिकॉर्ड पत्रावली का अवलोकन किया गया। रिकॉर्ड से यह स्पष्ट है कि निर्धारण अधिकारी द्वारा मैसर्स पंकज ट्रेडर्स, फलौदी (टिन-08902600676) के पंजीयन निरस्तरीकरण के संबंध के



आधार पर उक्त अवधि में विक्रेता व्यवहारी से किये गये संव्यवहार के चुकाये गये कर के एवज् में चाहे गये आगत कर की मुजरा राशि को अस्वीकार कर, कर, रिवर्स कर की मांग राशि कायम की गयी । इस संबंध में उल्लेखनीय है कि प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा विवादित विक्रय को स्वयम् द्वारा संद्वारित वैट-7 में घोषित किया गया है। अधिनियम की धारा 18(3)(V) के तहत आई.टी.सी. उसी स्थिति में ही अस्वीकृत की जा सकती है जब व्यवहारी द्वारा क्रय संव्यवहार वास्तविक नहीं हो। हस्तगत प्रकरण में यह पूर्णतः स्पष्ट है कि व्यवहारी ने प्रथम बिन्दु पर पंजीकृत व्यवहारी से माल क्रय किया गया है, परन्तु क्रय किये गये माल का वास्तविक संव्यवहार के संबंध में प्रत्यर्थी व्यवहारी के विद्वान अभिभाषक द्वारा कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है। अतः उक्त के सत्यापन के संबंध में प्रत्यर्थी अपीलार्थी व्यवहारी को यह निर्देश दिये जाते हैं कि वे क्रय किये गये माल के संबंध में, माल के परिवहन संबंधी यथा:- बिल, बिल्टी, कृषि उपज मण्डी की पर्ची आदि निर्धारण अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करें। अपीलार्थी निर्धारण अधिकारी को यह निर्देश दिये जाते हैं कि वे प्रस्तुत दस्तावेजों की जांच कर, प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा किये गये संव्यवहार प्रमाणित होने पर, अधिनियम के प्रावधानानुसार आगत कर का मुजरा प्रदान करें । फलस्वरूप, अपीलीय आदेश की पुष्टि की जाकर, प्रकरण निर्धारण अधिकारी को उपर्युक्तानुसार कार्यवाही हेतु प्रतिप्रेषित किया जाता है।

8. परिणामतः, अपीलार्थी निर्धारण अधिकारी द्वारा प्रस्तुत अपील स्वीकार की जाकर, उपर्युक्तानुसार कार्यवाही प्रकरण निर्धारण अधिकारी को प्रतिप्रेषित किया जाता है ।

9. निर्णय सुनाया गया।


10.3.2014
(मदन लाल)
सदस्य